संख्याः 75एम/नौ–4–13–46ई/05

प्रेषक,

सी0बी0 पालीवाल
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 24 मई, 2013

विषयः . मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका अलमित्रा पटेल बनाम भारत सरकार में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.05 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में प्रदेश के विभिन्न नगरों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पर्यावरण अभियन्ता (एनवायरमेंटल इंजिनियर्स) के पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–871/नौ–4–7–46ई/05, दिनांक 13.02.2007 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगम, इलाहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर एवं आगरा में पर्यावरण अभियन्ता (वेतनमान रू0 10,000–15,200 में) के अस्थायी पदों को सृजित करते हुए प्रस्तर–4 में उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हता बी.टेक/बी.ई. (सिविल) के साथ ही पर्यावरण अभियान्त्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित की गई है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रस्तर–4 में निर्धारित अर्हता को शिथिल करते हुए अब पर्यावरण अभियन्ता (वेतनमान रू0 10,000–15,200 में) के पद हेतु निर्धारित अर्हता बी टेक/बी.ई. (सिविल) निर्धारित की जाती है। पर्यावरण अभियान्त्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.टेक, एनवायरमेंटल इंजिनियरिंग) अधिमानी अर्हता होगी।

3. उक्त शासनादेश संख्या–871/नौ–4–7–46ई/05, दिनांक 13.02.2007 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(सी0बी0 पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर एवं आगरा।
2– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8
3– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
4–नगर विकास अनुभाग–1/7
5–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।

G.O..doc